



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन, सेक्टर-16, फरीदाबाद-121002
Panchdeep Bhawan, Sector-16, Faridabad-121002
Phone: 0129-2222980 E-mail: rd-haryana@esic.gov.in
Website: www.esic.gov.in

सं०: 13.ए.33/16/01/2004/प्रशा०(पार्ट फाइल)/

दिनांक: 21/03/2025

कार्यालय आदेश संख्या: 44 वर्ष 2025

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.2025 को सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित पूरक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों की सहायक के संवर्ग में नियमित पदोन्नति के आदेश दिए हैं:-

क्र.सं	कर्मचारी का नाम व कर्मचारी संख्या (सर्व श्री/श्रीमती/कु०)	वर्तमान पद एवं तैनाती स्थान	पदोन्नत पद एवं तैनाती स्थान
1.	Amit 171960	UDC, ESIC MCH Faridabad	Assistant, ESIC MCH Faridabad
2.	Dinesh Tewatia 172384	UDC, RO Faridabad	Assistant, RO Faridabad
3.	Gaurav Kumar Yadav 172055	UDC, SRO Gurugram	Assistant, SRO Gurugram
4.	Asim Mukherjee 171841	UDC, SRO Gurugram	Assistant, SRO Gurugram
5.	Naresh 172331	UDC, Branch Office Hisar	Assistant, Branch Office Hisar
6.	Deepak Kumar 172025	UDC, SRO Karnal	Assistant, SRO Karnal
7.	Neeraj Kumar 172389	UDC, ESIC MCH Faridabad	Assistant, ESIC MCH Faridabad
8.	Satish Kumar 172299	UDC, SRO Gurugram	Assistant, SRO Gurugram
9.	Shalu Baliyan 172284	UDC, SRO Karnal	Assistant, SRO Karnal
10.	Rajesh 173257	UDC, Branch Office Sector 8, Faridabad	Assistant, Branch Office Sector 8, Faridabad

पदोन्नत पद पर पदोन्नति कार्यग्रहण की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। सहायक के रूप में पदोन्नति उपरांत वे वेतनमान लेवल 6 (Rs. 35,400-112,400) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपना वर्तमान/प्रारम्भिक वेतन पाने के हकदार होंगे तथा वेतन नियतन यदि अपेक्षित हुआ तो नियमानुसार नियत किया जाएगा।

उक्त कर्मचारी उनकी नियमित पदोन्नति की तिथि से एक माह के अंदर वेतन नियतन का विकल्प दे सकते हैं कि उनका उच्च पद पर प्रारम्भिक वेतन मूल नियम FR- 22(I)(a)(1) में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत निम्न पद के वर्तमान में वेतन वृद्धि के अर्जन के बिना पुनरीक्षण किए सीधे ही नियत कर दिया जाए।

अथवा (एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।)

उनका वेतन पदोन्नत पद पर प्रथमतः मूल नियम FR- 22(I)(a)(1) में किए गये प्रावधान के तहत नियत किया जाए और इसे मूल नियम FR- 22(I)(a)(1) में किए गए प्रावधान के आधार पर निम्न पद के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के अर्जन के बाद वेतन नियतन किया जाए।

उपरोक्त वर्णित कर्मचारी उपर्युक्त पदोन्नति स्वीकार करने की इच्छा/अनिच्छा इस कार्यालय को दिनांक 24.03.2025 पूर्वाह्न तक प्रेषित करें। ऐसे कर्मचारी जो पदोन्नति अस्वीकार करते हैं अथवा उक्त समय में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, भविष्य में उनके संबंध में नियमानुसार एक वर्ष तक नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा एवं उसके परिणामस्वरूप वे अपनी वरिष्ठता भी खो देंगे। ऐसे कर्मचारी जो उनकी अगली नियमित पदोन्नति से पहले सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत हो जाएंगे वे उनसे वरिष्ठ हो जाएंगे।

उपर्युक्त कर्मचारियों को फिलहाल उनकी वर्तमान तैनाती स्थल पर पदोन्नत किया जा रहा है और उनका स्थानांतरण/तैनाती आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अलग से जारी किया जाएगा।

सहायक के पद पर पदोन्नति भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 के परिणाम के अधीन है और माननीय कैट चंडीगढ़ बेंच द्वारा ओ.ए. संख्या 850/2020 और ओ.ए. संख्या 60/1289/2021 के आदेश के अधीन होगी जो पारित किया जा सकता है।

Handwritten signature and date: 21.03.25


21.03.2025
(शिव शक्ति शर्मा)

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कर्मचारी (इस निर्देश के साथ कि वह अपनी स्वीकृति/कार्यग्रहण रिपोर्ट अथवा अस्वीकृति रिपोर्ट को अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करें)।
2. महानिदेशक (स्था-2), मुख्यालय, क0 रा0 बी0 निगम, नई दिल्ली।
3. डीन, क0 रा0 बी0 निगम महाविद्यालय व अस्पताल, एन0एच0-3, एन0आई0टी0, फरीदाबाद।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क0 रा0 बी0 निगम चिकित्सालय, फरीदाबाद/ गुरुग्राम/मानेसर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम/करनाल।
6. सभी शाखा अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद।
7. सभी शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद।
8. सभी शाखाएँ क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद।
9. सेवा पंजी सीट/ APAR सीट/ वेतन नियतन सीट/मासिक विवरणी सीट प्रशासन शाखा क्षेत्रीय कार्यालय फरीदाबाद।
10. सचिव एसिक कर्मचारी संघ हरियाणा/ सचिव एसिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हरियाणा।
11. गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड/निजी फाइल।